46

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 724–।।/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–1–2007 पारित द्वारा आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 58/2002–03/निगरानी

श्रीमती सीताबाई पत्नी नारायण लाल
जति गौड़, निवासी कस्वा श्योपुर ,तहसील
व जिला श्योपुरकलां (म.प्र.) .....आवेदिका

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, श्यापुरकलां (म.प्र .....अनावेदक

———

(आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7-2-; 2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 58/2002–03/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–1–2007 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बगवाज की भूमि सर्वे कमांक 628 रकवा 5 बीधा का आवेदिका को नायब तहसीलदार श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 26/95–96/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 2–7–1996 के

द्वारा आवेदिका के पक्ष में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(3) के तहत बंटन कर भूमिस्वामी स्वत्व का पट्टा जारी किया जाकर मौके पर कब्जा दिया गया। जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता हसनअली द्वारा कलेक्टर श्योपुर से की गई उक्त शिकायत की जांच कलेक्टर श्योपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर से कराई गई, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर तहसील श्योपुर के भूमि बंटन के प्रकरण कमांक 26/95–96/अ–19 को तलव किया तथा वास्तविक स्थिति के संबंध में तहसीलदार श्योपुर से जानकारी चाही गई। तहसीलदार श्योपुर ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर श्योपुर को इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसील के प्रकरण कमांक 26/96–95/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 2–7–1996 से की गई भूमि बंटन की कार्यवाही में अनियमितताऐं की गई है, जिसमें भूमि बंटन के उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर अवैध पट्टो को निरस्त किया जायें। कलेक्टर श्योपुर ने उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण कमांक 01/2000–01/स्व. निगरानी में दर्ज कर आदेश दिनांक 6–2–2003 पारित कर नायब तहसीलदार के बंटन आदेश दिनांक 2–7–1996 को निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के समझ निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्र0क0 58/2002–03/निगरानी पर दर्ज की जाकर, आदेश दिनांक 25–1–2007 के द्वारा निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानर लागू नहीं होते है क्योकि आवेदिका को विवादित भूमि का बंटन विशेष उपवन्ध अधिनियम के तहत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उस पर कोई साक्ष्य नहीं हुई है जिसे अनदेखा कर कलेक्टर महोदय द्वारा अवैधानिक आदेश पारित किया गया है। आवेदिका द्वारा कलेक्टर महोदय

के न्यायालय में जो उत्तर प्रस्तुत किया गया था तथा आयुक्त के न्यायालय में निगरानी मेमो में जो आपत्तियां की गई थी उन आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया।

उनका तर्क है कि, कलेक्टर महोदय द्वारा लम्बे समय अन्तराल प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण में आवेदिका के तर्क श्रवण नहीं किये गये ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों के लिय बनाये नियमों का पालन किये बिनाा पारित आदेश निरस्ती योग्य है। अंत में उन्होने निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशो को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने. का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजो तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि, तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 26/95–96/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 2–7–1996 के द्वारा ग्राम बगवाज में 22 भूमिहीनों को पट्टे दिये गये है। आवेदिका को ग्राम बगवाज की भूमि सर्वे कमांक 628 रकवा 5 बीधा का पट्टा दिया गया है। जिसकी शिकायत हसनअली द्वारा कलेक्टर से की गई। जिसमें उल्लेख है कि उक्त भूमि पर शिकायतकर्ता पूर्वजों के समय से काविज होकर काश्त करते आ रहे है जिसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई जाकर प्रतिवेदन दिनांक 30–8–2000 में विस्तृत वर्णन किया गंया है अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि, तहसील न्यायालय के भूमि बंटन के प्रकरण में तत्कालीन पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। आवंटितियों के कथन गलत लिये गये है, तहसीलदार द्वारा आदेश में कई स्थानो पर काट–छांट की

गई है विधिवत सूचना का प्रकाशन नहीं कराया जाकर भूमि बंटन की प्रकिया को गोपनीय रखा जाकर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानो का पालन न किया जाकर अनियमित पट्टे अवैध प्रकिया अपनाते हुये दिये गये है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन कर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी मे लिया गया संबंधित पक्षकारों को सूचना जारी कर विधिवत आदेश पारित किया गया है। जिसे आयुक्त द्वारा स्थिर रखे जाने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाकर, आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–2007 विधि सम्मत होने से स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो। प्रकरण दाखिला रिकार्ड हों

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर